

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(प्रशासन विभाग)

**परिपत्र**

**विषय: शिमला में होलीडे होम की स्थापना**


यह सूचित किया जाता है कि भा मा ब्यूरो द्वारा चार कमरों (कमरा सं. 101,102,103,104) का होलीडे होम मै0 होटल वैकुंठ, द माल रोड, (लिफ्ट के निकट), शिमला 171001 (हिमाचल प्रदेश) में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से आरंभ किया जा रहा है।

2. शिमला वायु, रेल और सड़क मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन शिमला है। दिल्ली से शिमला की दूरी लगभग 364 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। स्थान का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- क) उंचाई : लगभग 2000 मीटर  
ख) जलवायु : गर्मी - अधिकतम 27° से. न्यूनतम 11° से.  
सर्दी - अधिकतम 16° से. न्यूनतम 5° से.  
ग) जाने का मौसम : अप्रैल से जून और सितम्बर से दिसम्बर  
घ) कपड़े : गर्मियों में - सुबह और शाम हल्के ऊनी और  
सर्दियों में - मोटे ऊनी

3. एक कमरे में बच्चों सहित अधिकतम 4 लोग रह सकते हैं। तदनुसार ही प्रशासन विभाग, मुख्यालय, नई दिल्ली को निर्दिष्ट संलग्न प्रोफार्मा में आरक्षण के लिए निवेदन भेजे। आरक्षण की सूचना अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से ई-मेल [administration@bis.org.in](mailto:administration@bis.org.in) अथवा फोन नं. 8463 द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

4. बुकिंग जापन में उल्लेखित व्यक्तियों के अतिरिक्त व्यक्ति/ व्यक्तियों को आबंटित कमरे में ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

  
(एन. विट्टोबा)  
निदेशक (प्रशासन)

संलग्न: ऊपरोक्तानुसार

हमारा संदर्भ: प्रशासन/02/02/2014

दिनांक: 20 मार्च 2019

परिचालित: भा.मा.ब्यूरो मुख्यालय के सभी विभाग / क्षे.का./ शा. का./ प्रयोगशालाएं/ एन.आई.टी.एस.

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**(Administration Department)**

**CIRCULAR**

**Subject: Holiday Home in Shimla**

This is to inform that a Holiday Home consisting of **four suites (Room No. 101, 102, 103, 104)** is being set up at M/s Hotel Vaikunth, The Mall Road, Near Lift, Shimla-171001 (Himachal Pradesh) with effect from 01 April 2019.

2. Shimla is well connected by air, rail and road. The nearest railway station is Shimla. The distance from Delhi to Shimla is approx. 364 km. and from Chandigarh to Shimla is approx. 120 kms. Brief description of the place is given below:

- a) Altitude : 2000M Approx.
- b) Climate : Summer - Max 27<sup>o</sup> C Min 11<sup>o</sup> C  
Winter - Max 16<sup>o</sup> C Min 5<sup>o</sup>C
- c) Season for visit : April to June; and  
September to December
- d) Type of clothing : In summer-light woollens in morning and evening:  
and in winters - heavy woollens

3. Maximum 4 persons, including children, can be accommodated in a room. Requests for reservation may be sent to the Administration Deptt. at HQs, New Delhi in the prescribed enclosed proforma. The information for booking can also be obtained through e-mail at [administration@bis.org.in](mailto:administration@bis.org.in) or **Extn. No. 8463**.

4. Persons other than mentioned in the booking memo shall not be allowed to stay in the allotted rooms.



(N. Vittoba)  
Director (Administration)

Encl: As above

Our Ref: ADMN/ 02/02/2014

Dated: 20 March 2019

Circulated to: All departments at HQ/ROs/BOs/ Labs & NITS

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**हॉली-डे होम में आवास हेतु आरक्षण के लिए आवेदन फार्म**  
**FORM FOR RESERVATION OF ACCOMMODATION IN HOLIDAY HOME**

**GA 1**

निम्न सूचना के आधार पर \_\_\_\_\_ स्थित हॉली-डे होम में आवास हेतु आरक्षण करने की कृपा करें  
Please reserve accommodation at the Holiday home located at \_\_\_\_\_ based on the following information

कर्मि का नाम Name of Employee	पदनाम Designation	कर्मि संख्या Employee Number	
विभाग/अनुभाग Dept./Section	कार्य का स्थान Place of work	वेतन Pay	
क्रम सं. Sl. No.	परिवार के सदस्यों के नाम Name of family members (*)	कर्मि के साथ संबंध Relationship with the employee	<p>1. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्यों में, जो मेरे साथ जाने के इच्छुक हैं, किसी को भी किसी प्रकार की संक्रामक बिमारी नहीं है और यदि बाद में कोई संपर्क में आता है तो उन्हें हॉली-डे होम आवास का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी/ I hereby certify that none of my family members who intend to accompany me is suffering from any communicable disease and in case anyone of them contacts such a disease later, he/she shall not be permitted to use the accommodation of the Holiday Home.</p> <p>2. मैं एतद्वारा हॉली-डे होम के उपयोग को शासित करने वाले भा. मा. ब्यूरो के नियमों का पालन करूँगा/करूँगी/ I hereby agree to abide by the BIS rules governing the use of Holiday Home.</p>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

\* (केवल पति/पत्नी, आश्रित बच्चे व माता-पिता/Only Husband/wife, dependent children and parents)

आरक्षण की आवश्यकता के सायं/प्रातः से के सायं/प्रातः से  
Reservation required From evening/morning of To evening/morning of

यदि माँगे गए दिनों में आवास उपलब्ध न हो पाया तो वैकल्पिक तिथियाँ दें  
State alternative dates in case accommodation is not available for the dates applied for

पिछली बार हॉली-डे होम में ठहरे (तिथि व स्थान का नाम बताएँ)  
Holiday Home last visited (Give date and name of place)

विभागीय प्रमुख  
Departmental Head

दिनांक  
Date

आवेदक के हस्ताक्षर  
Signature of applicant

निदेशक (प्रशासन)  
Director (Admn.)

अनु. अधिकारी  
Section Officer

For use in  
उपयुक्त हेतु  
सं. प. विभाग